न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 116/2019 निर्णय दिनांक :– 13.7.19

उनवान

1. कमलेश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम सीतारामपुरा उर्फ गोग्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. जगदीशनारायण पुत्र स्व, लक्ष्मीनारायण
2. प्रभुनारायण पुत्र स्व, लक्ष्मीनारायण
3. रतनलाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
4. सुरेशचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
5. कैलाशचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
6. पुष्पा पुत्री स्व. लक्ष्मानारायण
7. अनोखी पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण
8. सुनीता पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण
9. धन्नी देवी पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण
10. प्रभा देवी पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

समस्त जाति कुमावत निवासी सीतारामपुरा उर्फ गोग्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी के वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि :—

वादी की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 253 रकबा 0.38 है0 , खसरा नम्बर 254 रकबा 0.40 है0 , खसरा नम्बर 255 रकबा 0.34 है0 , खसरा नम्बर 256 रकबा 0.40 है0 , खसरा नम्बर 257 रकबा 0.40 है0 , खसरा नम्बर 258 रकबा 0.41 है0 , खसरा नम्बर 259 रकबा 0.39 है0 , खसरा नम्बर 260 रकबा 0.42 है0 , खसरा नम्बर 261 रकबा 0.06 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 3.20 है0 व खाता नम्बर 83 के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 37 रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 38 रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 39 रकबा 0.01 है0 , खसरा नम्बर 52 रकबा 0.01 है0 , खसरा नम्बर 53 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 54 रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 55 रकबा 0.17 है0 , खसरा नम्बर 56 रकबा 0.19 है0 , खसरा नम्बर 61 रकबा 0.18 है0 , खसरा नम्बर 63 रकबा 0.18 है0 , खसरा नम्बर 67 रकबा 0.17 है0 , खसरा नम्बर 68 रकबा 0.20 है0 , खसरा नम्बर 69 रकबा 0.51 है0 , खसरा नम्बर 89 रकबा 0.17 है0 , खसरा नम्बर 94 रकबा 0.20 है0 , खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

नम्बर 97 रकबा 0.31 है0 , खसरा नम्बर 98 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 247 रकबा 0.23 है0 , खसरा नम्बर 248 रकबा 0.16 है0 , खसरा नम्बर 249 रकबा 0.18 है0 , खसरा नम्बर 250 रकबा 0.23 है0 , खसरा नम्बर 251 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 252 रकबा 0.41 है0 , खसरा नम्बर 266 रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 267 रकबा 0. 08 है0 , खसरा नम्बर 268 रकबा 0.07 है0 , खसरा नम्बर 274 रकबा 0.01 है0 कुल किता 28 कुल रकबा 4.82 है0 वाके ग्राम गोगियावास पटवार हल्का कुम्हारियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 मे तथा खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.01 है0 , खसरा नम्बर 96 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 97 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 98 रकबा 0.05 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.12 है0 व खाता संख्या 110 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.17 है0 , खसरा नम्बर 100 रकबा 0.18 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम कुम्हारियावास पटवार हल्का कुम्हारियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी को ही इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादी के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार पेश है

लक्ष्मीनारायण

धन्नीदेवी प्रभादेवी जगदीशनारायण प्रभुनारायण कमलेश रतनलाल पुष्पा अनोखी सुरेशचन्द कैलाशचन्द सुनिता

उपरोक्त परिवार खानदान स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. नाथूराम के

Signature Not Verified

जायन्दा वारिस एवं उत्तराधिकारी [illegible] के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। जो हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। जिससे

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

वादी का स्व. लक्ष्मीनारायण की छोडी गई सम्पत्ति वादग्रस्त आराजीयात में जन्मजात हित निहित है। वादी के पिता स्व. लक्ष्मीनारायण द्वारा पुनः विवाह प्रतिवादी संख्या 10 के साथ किया गया था। प्रतिवादी संख्या 10 से पुनः विवाह करने के पश्चात वादी कमलेश पैदा हुआ था वादी का तमाम दस्तावेजों में पिता का नाम लक्ष्मीनारायण ही अंकित चला आ रहा है। जो सही दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयातो पर स्व. लक्ष्मीनारायण के वारिसान मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादी के पिता रव. लक्ष्मीनारायण जी का देहान्त दिनांक 17.06.2017 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत कुम्हारियावास से प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी स्व. लक्ष्मीनारायण के वारिसो का प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2018 को जारी कर दिया गया था। किन्तु स्व0 लक्ष्मीनारायण के जायन्दा दो पत्निया होने से व दोनो के औलादे होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विरासत के नामान्तकरण को लेकर विवाद हो गया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 410 को प्रतिवादीगण अपने भाई व माता का दर्जा नही देते है अर्थात भाई व माता नही मानते है। जिसके कारण स्व0 लक्ष्मीनारायण जी का विरासत का नामान्तकरण नही खुलने दे रहे है तथा इनके वारिसो के नाम नामान्तकरण नही खोलने दे रहे है। जिससे वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयातो में अपने पिता स्व. लक्ष्मीनारायण के नाम में से अपने नाम 1/11 हक व हिस्से की खातेदारी घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी अपने पिता स्व. लक्ष्मीनारायण के समय से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

वादग्रस्त आराजीयातो पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 20.05.2019 को मिन प्रतिवादीगण आये और कहने लगे कि जब तक हमारे पिताजी स्व. लक्ष्मीनारायण का विरासत का नामान्तकरण नही खुलेगा क्योंकि तुमको व तुम्हारी माता प्रतिवादी संख्या 10 को हम भाई व माता नहीं मानते है ना ही वारिस मानते है तथा तब तक किसी को भी काश्त नही करने देंगे तथा अब हम नामान्तकरण भी नही खुलने देंगे तुम चाहे सो कर लेना तथा कई तरह की धमकियां सरेआम देकर चले गये। प्रतिवादीगण की कार्यवाही को देखते हुये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो वाद्रस्त आराजीयात स्व, लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज भूमि में वादी अपने नाम 1/11 हक व हिस्से की खातेदारी की घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वो वादग्रस्त आराजी पर से बेदखल नही करे न ही कब्जा करे , न ही मौके पर किसी भी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमत करें, न तो ऐसा स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें। वादी के लिये वादकारण दिनांक 20.05.2019 को जब प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आकर वादी को यह कहते हुये काश्त करने से रोक दिया कि अभी तक अपने पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण का विरासत का नामानतकरण नही खुला है न ही हम नामान्तकरण खुलने देगें। क्योंकि हमारी अलग–अलग माताऐं है जिससे कई तरह की सरेआम धमकियॉ देकर जाने से वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 11 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गई है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

मध्य समाज के पंच पटेलों द्वारा आपस में बिठाकर राजीनामा करवा दिया कि जो वादग्रस्त आराजी हमारे पिताजी की छोडी हुई है भूमि में हम वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया उक्त राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना जाहिर करने पर लोक अदालत की भावना से दावा वादी मुताबिक राजीनामा लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना उचित समझते है। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 9 से 10 अपने पुत्रों व भाईयों के हक में स्वेच्छा से भूमि का छोडा जाना स्वीकार किया गया। दावा वादी लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्रि किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 253 से 261 किता 9 रकबा 3.20 है0, व खसरा नम्बर 36 से 39, 52 से 56, 62, 63, 64, 68, 69, 89, 94, 97, 98, 247 से 252, 266, 267, 269, 274 किता 28 रकबा 4.82 है0 वाके ग्राम गोगियावास तहसील चाकसू खसरा नम्बर 84, 96, 97, 98 किता 4 रकबा 0.21 हे0 व खसरा नम्बर 99, 100 किता 2 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम कुम्हारियावास तहसील चाकसू में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/6, 1/6 बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested